उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला
(विधि शाखा)

आ दे श

विविध अपील (Miscellaneous Appeal)वाद सं0 :– 27 / 2014–15

हुलास भगत –बनाम– सरकार

अपीलार्थी श्री हुलास भगत पिता –चैतु खडिया ग्राम–अम्बेराडीह थाना–पालकोट जिला–गुमला द्वारा नीलाम पत्र पदाधिकारी (खनन) दक्षिणी छोटानागपुर अंचल रॉची के नीलाम पत्र वाद सं0–20(जी0आर0) / 1999–2000 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि इस वाद में सुनवाई के पूर्व वसूलनीय राशि का 40 प्रतिशत राशि जमा करने का आदेश दिया गया है परन्तु अपीलार्थी गरीब होने के कारण फिलहाल राशि जमा करने में असमर्थ हैं।

चूँकि प्रश्नगत मामला में POR Act.-1914 का Section-60 के अन्तर्गत वसूलनीय राशि का 40 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त ही अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकार करने का प्रावधान है। अपीलार्थी को 40 प्रतिशत राशि जमा करने हेतु प्रर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, परन्तु उनके द्वारा राशि जमा नही की गई। उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपील वाद खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ इसकी प्रति जिला खनन पदाधिकारी गुमला को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

07.07.22
उपायुक्त
गुमला

07.07.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.07.30 12:59:39 +05:30
Location: 192.168.5.101